छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 157 / 2006

श्री देवेन्द्र दानी .... **अपीलार्थी**
ब्लाक अध्यक्ष,
भारतीय किसान संघ,
धमधा,
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... **प्रतिअपीलार्थी**
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
दुर्ग (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::
(दिनांक 13 सितम्बर 2006)

श्री देवेन्द्र दानी, अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, धमधा के द्वारा विशेष सचिव, अनुसूचित जाति जनजाति विकास विभाग छ.ग.शासन के आदेश दिनांक 9–3–2006 से असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष अपील प्रस्तुत की।

प्रकरण का संक्षेप विवरण इस प्रकार है। अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग के समक्ष दिनांक 9–12–2005 को आवेदन दिया कि अनुसूचित जाति बालक छात्रावास धमधा के भ्रष्टाचार की जाँच से संबंधित तहसीलदार, धमधा द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट एवं गवाहों के बयान, क्षेत्र संयोजक श्री जे. एल.देशलहरा द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट एवं गवाहों के बयान, दोनों अधिकारियों से लिये गये स्पष्टीकरण, शिक्षा सत्र 2002, 2003 2003–2004 तथा 2001–2002 में छात्रावास में अधिकृत रूप से प्रविष्ट छात्रों की सूची तथा सफाई कर्मचारी मुन्ना स्वीपर के नाम से आहरित रकम की जानकारी चाही। निर्धारित समय में जानकारी न मिलने पर अपीलार्थी ने विशेष सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने निर्देश दिये कि अपीलार्थी को निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराई जाये। दिनांक 10–3–2006 को सहायक सूचना अधिकारी के द्वारा 69 पृष्ठों की जानकारी अपीलार्थी को छात्रावास अधीक्षक के माध्यम से भेजी गई। अपीलार्थी ने जानकारी विलम्ब से दिये जाने के फलस्वरूप आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की तथा दी गई जानकारी को अपूर्ण भी बतलाया।

आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया तथा विलम्ब से एवं अपूर्ण जानकारी देने के लिए प्रतिअपीलार्थी पर अधिनियम की धारा–20(1) के अंतर्गत 2000/– रूपए की शास्ति क्यों न आरोपित की जावे, इसका कारण बताओ नोटिस दिया गया। साथ ही अपीलार्थी को 1000/– रूपए की क्षतिपूर्ति दिये जाने का आदेश भी दिया गया। प्रतिअपीलार्थी की ओर से श्री मिर्जा मकसूद बेग उपस्थित हुए तथा प्रतिअपीलार्थी सहायक आयुक्त के द्वारा भी अपना जवाब प्रस्तुत किया तथा बतलाया कि त्रुटिवश मिर्जा मकसूद बेग, लेखापाल को जन सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था। सहायक आयुक्त ने अनुपस्थित रहने के लिए क्षमायाचना की। उनके द्वारा बतलाया गया कि अपीलार्थी को 10–3–2006 के द्वारा द्वारा जानकारी भेज दी गई है। गवाहों के बयान की प्रति भी दी गई है। उनके द्वारा आयोग के समक्ष गवाहों के बयान तथा जाँच प्रतिवेदन की प्रति भी प्रस्तुत की गई। उनके द्वारा यह भी बतलाया गया कि तहसीलदार के द्वारा की गई जाँच का प्रतिवेदन कार्यालय में उपलब्ध था, उसकी प्रति आवेदक को दी गई। गवाहों के बयान कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि जाँच प्रतिवेदन के साथ वे प्राप्त नहीं हुए। संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा की गई जाँच का प्रतिवेदन तथा गवाहों के बयान भी आवेदक को निःशुल्क दे दिये गये हैं। आवेदक को वांछित जानकारी तहसीलदार के द्वारा लिये गये गवाहों के बयान को छोड़कर उपलब्ध करा दी गई है। तहसीलदार के द्वारा लिये गये गवाहों के बयान चूंकि कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए, अतः उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया है। आवेदक को शेष समस्त जानकारी उपलब्ध कराई गई। आवेदक को यह जानकारियाँ पत्र दिनांक 10–03–2006 के द्वारा ही उपलब्ध कराई गई। अतः यह प्रमाणित नहीं होता कि प्रतिअपीलार्थी ने जानबूझकर वांछित अभिलेख आवेदक को उपलब्ध नहीं कराये हैं। अतः प्रतिअपीलार्थी के विरूद्ध 2000/– रूपए के अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी को पूर्व में 1000/– रूपए की क्षतिपूर्ति दिये जाने का आदेश दिया जा चुका है।

उक्त निर्देश सहित अपीलार्थी की यह अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
मुख्य सूचना आयुक्त